संख्या- 19/2022/1165/12-3-2022-100(60)/2013टी0सी0-पांच

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि **निदेशक,**
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2022

विषय- प्रदेश में आवर्षण/कमजोर मानसून के दृष्टिगत राज्य सेक्टर की प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजनान्तर्गत चना तथा मसूर के नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण किये जाने हेतु कार्ययोजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस0एफ0/1640-T/29-टी/Cabinet Note/3.Millet minikit/2022-23, दिनांक 15.09.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त प्रदेश में आवर्षण/कमजोर मानसून के दृष्टिगत राज्य सेक्टर की प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजनान्तर्गत चना तथा मसूर के नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण किये जाने हेतु कार्ययोजना पर एतद्द्वारा निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. **<u>योजना का उद्देश्य:-</u>**

- अवर्षण के दृष्टिगत रबी में चना एवं मसूर के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना|
- चना एवं मसूर के नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण कर कृषकों को लाभान्वित करना|

2. **<u>बीज मिनीकिट वितरण का प्रकार:-</u>**

दलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु आवश्यक निवेशों में उच्च उत्पादन वाले प्रमाणित/आधारीय बीज मुख्य कृषि निवेश है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग के निर्धारित राजकीय कृषि बीज भण्डारों से चना के 16 किग्रा एवं मसूर के 8 किग्रा बीज प्रति मिनीकिट कृषको को नि:शुल्क वितरण किया जायेगा। विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले चना एवं मसूर के बीज मिनीकिट का वितरण डी0बी0टी0 प्रक्रिया से पूर्ण रूप से मुक्त होगा। चना एवं मसूर के नि:शुल्क बीज मिनीकिट का वितरण मा0 जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जायगा| जिला कृषि अधिकारियों द्वारा नि:शुल्क मिनीकिट की बुवाई सुनिश्चित करायी जाएगी जिससे आच्छादन में वृद्धि प्रदर्शित हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

बीज मिनीकिट के लिए बीज की व्यवस्था कृषि विभाग के राजकीय प्रक्षेत्रो पर उत्पादित गुणवत्तायुक्त प्रमाणित/आधारीय बीज एवं उ०प्र० बीज विकास निगम के माध्यम से कराए जायेगें।

3. **<u>पात्र कृषकों के चयन की प्रक्रिया तथा देय सुविधाः-</u>**

योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित जनपदों में 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति तथा 75 प्रतिशत अन्य जाति के पंजीकृत कृषकों को ही दिया जायेगा और प्रतिबन्ध यह रहेगा कि चयनित कृषकों को अधिकतम एक बीज मिनीकिट वितरित किया जायेगा। साथ में फसल उत्पादन प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करायी जाएगी। यह प्रयास किया जायेगा कि चयनित कृषकों में महिला कृषकों की 30 प्रतिशत भागीदारी रहे। खरीफ 2022 की बुवाई से वंचित कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर बीज मिनीकिट वितरण किया जायेगा। बीज मिनीकिट वितरण का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा उक्त सुविधा का लाभ कृषकों को ''प्रथम आवक-प्रथम पावक'' के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्रत्येक कृषक को चना अथवा मसूर के एक बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत यहाँ के कृषकों को वरीयता देने पर प्रचलित/सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अधीन समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. <u>योजना के सम्भावित लाभः-</u>

योजना के क्रियान्वयन से 2.5 लाख कृषक लाभान्वित होंगे| चना का 20000 हे. एवं मसूर का 30000 हे. अतिरिक्त आच्छादन होगा| जिससे 44000 मी0 टन अतिरिक्त चना तथा 60000 मी0 टन अतिरिक्त मसूर का उत्पादन प्राप्त होगा तथा लाभार्थी कृषकों को औसतन रू0 20000-25000 प्रति हे0 का लाभ प्राप्त होगा।

5. <u>वित्तीय उपाशयः-</u>

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषको को चना के 1.0 लाख बीज मिनीकिट (16 किग्रा प्रति बीज मिनीकिट) एवं मसूर के 1.5 लाख बीज मिनीकिट (8 किग्रा प्रति बीज मिनीकिट) वितरण हेतु वित्तीय आवश्यकता का विवरण निम्नवत आकलित किया गया हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

विवरण	बीज मिनीकिट वितरण का लक्ष्य		राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बीज मिनीकिट पर अनुमानित व्यय (लाख रू0 में)
	(कु0)	(संख्या में)	
चना के प्रमाणित/ आधारीय बीज	16000	100000	1680.00
मसूर के प्रमाणित/ आधारीय बीज	12000	150000	1584.00
योग	28000	250000	3264.00

योजना के अन्तर्गत चना बीज मिनीकिट की प्रति किलोग्राम की लागत रू0 105.00 तथा मसूर बीज मिनीकिट की प्रति किलोग्राम लागत रू0 132.00 के आधार पर बीज मिनीकिट पर आने वाले व्यय का आंकलन किया गया है। उक्त दरों का निर्धारण विगत् रबी 2021-22 में निर्गत बीज दरों के आधार पर किया गया है।

6. <u>धनराशि की व्यवस्था:-</u>

वित्तीय वर्ष **2022-23** में चना एवं मसूर के निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम पर रु0 3264.00 लाख का व्यय आंकलित है, जिसे राज्य सेक्टर के प्रमाणित बीजो के वितरण पर अनुदान की योजना अंतर्गत आय – व्ययक वर्ष 2022-23 योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान (राज्य सेक्टर) मानक मद 27 सब्सिडी से वहन किया जायेगा। योजना अंतर्गत कुल व्यय होने वाली धनराशि के सापेक्ष प्राविधानित राशि से अधिक व्यय होने वाली अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक मांग / पुनर्विनियोग के माध्यम से कराया जायेगा|

7. उपरोक्त योजना में किसी प्रकार के संशोधन हेतु तथा कमजोर मानसून के दृष्टिगत कृषकों के हित में बीज प्रमाणीकरण योजनान्तर्गत यथावश्यक अन्य किस्मों के बीज आदि के वितरण/निशुल्क वितरण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

सं0- 19/2022/1165(1)/12-3-2022-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त/राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है